# न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

## अपील भरण पोषण प्रकरण संख्या 13/2024(GCMS : 2024/256)

**संजय सिंह पटियाल** पुत्र श्री नसीब सिंह निवासी भूप कॉलोनी, गली नं. 2, एसएसबी रोड, श्रीगंगानगर **मोबाईल नम्बर 97999—93209**

**बनाम**

**श्रेष्ठा पटियाल** पत्नी स्व. श्री नसीब पटियाल निवासी भूप कॉलोनी गली नं. 2, कमला बिश्नोई वाली गली, नजदीक शिव मंदिर, श्रीगंगानगर वर्तमान में द्वारा सन्नी धीर, मकान नं. 222, मोहल्ला केसरीबाग, नजदीक कमल मॉडल स्कूल, वार्ड नं. 22, कपूरथला पंजाब **मोबाईल नम्बर 94616—79931**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

**15.12.2025**

**पत्रावली पेश हुई।** पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के समक्ष एक प्रकरण संख्या 11/2023 पेश किया था। उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र माता—पिता और वरिष्ठ नागरिकों को भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के अन्तर्गत प्रार्थी को अपनी माता श्रेष्ठा पटियाल को माह अक्टूबर 2024 से प्रत्येक माह की 10 तारीख से पूर्व 3000/— रूपये अखरे रूपये तीन हजार रूपये अदा करने के आदेश दिनांक 25.09.2024 को दिये थे, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने यह अपील पेश की है।

**अपीलार्थी ने यह** अपील अपनी माता श्रेष्टा पटियाल के विरूद्ध पेश की है। अभिभावकों और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 16(1) के तहत माता पिता के द्वारा ही अपनी संतान (पुत्र, पुत्री, पौत्र और पौत्री) के विरूद्ध प्रस्तुत की जा सकती है जबकि अपीलार्थी ने यह अपील अपनी माता श्रेष्ठा पटियान के विरूद्ध पेश की है। इसलिए अपीलार्थी के द्वारा माता के विरूद्ध प्रस्तुत अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर सुनवाई हेतु अपील दिनांक 11.12.2024 से विचाराधीन है। अपीलार्थी को दिनांक 10.11.2025 को सुनवाई हेतु अंतिम मौका दिया गया था। अपीलार्थी दिनांक 11.12.2024 से आदिनांक तक कभी भी उपस्थित नहीं हुए है। इससे प्रतीत होता है कि अपीलार्थी को इस अपील को आगे चलाने में कोई रूचि नहीं है।

**अपीलार्थी दिनांक 11.12.2024 से** लगातार कभी भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुई है जबकि अपीलार्थी का दायित्व था कि वह समय समय पर न्यायालय में उपस्थित होकर प्रकरण की कार्यवाही में बारे में जानकारी प्राप्त करती, किन्तु उनके द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया है जिससे प्रतीत होता है कि अपीलार्थी को विचाराधीन अपील में कोई रूचि नहीं है। अपीलार्थी लगभग गत 01 वर्ष से न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे है। अपीलार्थी को बार—बार रूक रूक कर आवाज लगाई गई, परन्तु वह उपस्थित नहीं हुई है। इसलिए अपीलार्थी की अपील अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किये जाने योग्य है।

**अतः उक्त विवेचन के आधार** पर यह अपील अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज की जाती है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

**यह आदेश आज दिनांक 15.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.01.20 12:43:59 IST
Reason: SelfAttested

Manju

(डॉ. मन्जू)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर